सं0–1917/XXVIII (1) 2007–32/2008

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला होम्योपैथिक अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक : 18 फरवरी, 2008

विषयः राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, भुड्डी , जनपद देहरादून के भवन निर्माण हेतु **अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–227/XXVIII(1)-2006-32/2006, दिनांक 16 मार्च, 2006 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–405/रा0यो0आ0/जि0यो0/2007–08, दिनांक 13 नवम्बर, 2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, भुड्डी, जनपद देहरादून के अनावासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि **रू0 4.50 लाख (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2006 द्वारा **रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के कम में श्री राज्यपाल महोदय अवशेष धनराशि **रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. कार्य कराते समय लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3. उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् अधिशासी अभियन्ता ,निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

7. निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी।

8. उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े।

9. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।

10. उक्त व्यय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-102-होम्योपैथिक-00-03-होम्योपैथिक चिकित्सा-24-वृहद निर्माण कार्य की सुसंगत ईकाइयों के नामें डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-899(P)/वित्त अनुभाग-3/2008 दिनांक 14 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. निदेशक, होम्योपैथिक सेवायें, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड ,देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशोधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।